

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9392 / 128
सेवा में

दिनांक: 12-1-2021

वन मण्डल अधिकारी,
जीन्द ।

विषय: Diversion of 0.1785 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Br., Narwana for construction of new road from Narwana Dhakal road to NH 71, under Forest Division and Distrit Jind, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/44446/2020

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-1153 दिनांक 02.12.2020

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको भारत सरकार के पत्र क्रमांक 9-एच0आर0बी0072/2020 दिनांक 15.09.2020 की प्रति संलग्न भेजते हुए पुनः लिखा जाता है कि पत्र का अवलोकन करके मांगी गई सूचना शीघ्र ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करके प्रस्ताव भेजकर इस कार्यालय को सूचित करें ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला ।

12/1/21
12/1/21



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office,
Chandigarh



दिनांक: 15.09.2020

फाइल नम्बर: 9-HRB072/2020-CHA

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C-18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

DI-9392
Jind
28/9/20

विषय: Diversion of 0.1785 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Br., Narwana for construction of new road from Narwana Dhakal road to NH 71, under Forest Division and distret Jind, Haryana. (online proposal no. FP/HR/ ROAD/44446/2020)

सन्दर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9392/7320 दिनांक 31.08.2020.

P-73

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.1785 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करें:

- Revised Addl. CA scheme for planting 160 plants instead of 80 plants be prepared and uploaded online.
- DFO recommendation under column 16 in Part II online be uploaded correctly.
- Make suitable corrections in the period of diversion filled in as 15 years under column A-1 (x) in part-I, if deemed necessary.
- Clarify whether this is a proposal for construction of new road or a widening project as the lay out plan says otherwise?

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीयः

हस्ता/-

(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Officer, Forest Division and District Jind, Haryana
- The Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Br., Narwana

NO आ 9392/7612-13

Dt 28-09-2020

28/9/20
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफसीए एवं सीएनपीए)
हरियाणा, पंचकुला

Signature Not Verified

Digitally signed by KARMA
ZIMPA BHUTIA

Date: 2020.09.15 15:39:25 IST